रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 11 अक्तूबर, 1980/19 आश्विन, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 18 सितम्बर, 1980

क्रमांक एल० एल० आर० डी० (1)-1/76.—चूंकि समाज का ग़रीब एवं पिछड़ा वर्ग अपने विधिक अधिकारों को प्रवर्तित करने में असुविधाग्रस्त है;

और चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-क के अन्तर्गत मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान होने के कारण गरीब एवं पिछड़े वर्ग को कानूनी सहायता देना राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है;

और चूंकि गरीबों को कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की समस्या राष्ट्रीय नीति का स्वरूप धारण कर चुकी है तथा यह विषय राज्य सरकार के चिन्तन का विषय रहा है;

और चूंकि इस समय राज्य में गरीबों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनु0 जन जातियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए अलग अलग नियम प्रवृत हैं और राज्य सरकार का मत है कि इस विषय पर सभी कमजोर वर्गों के लिए तत्सम विभिन्न प्रवृत नियमों में उपान्तरण एवं संशोधन करके उसके स्थान पर एक ही प्रकार के व्यापक नियम बनाये जाने नितांत आवश्यक हैं, ताकि समाज के ऐसे सभी वर्गों, जोकि आर्थिक विषमता एवं अन्य कठिनाईयों की असमर्थता के कारण अपने विधिक अधिकार प्रवर्तित कराने से वंचित रहे हैं, को न्याय के समान अवसर मिल सकें ।

अतः आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों को उनके विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमों को सहर्ष बनाते हैं:—

हिमाचल प्रदेश राज्य गरीबों को कानूनी सहायता के नियम, 1980

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य गरीबों को कानूनी सहायता के नियम, 1980 है ।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में है।

(3) ये उस तारीख को प्रवृत होंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहायता प्राप्ति व्यक्ति" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन कानूनी सहायता उपबन्धित हो और इसमें दोनों में से कोई भी पक्ष आता है,

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सहायता बोर्ड ।

(ग) "कानूनी सहायता" से अभिप्रेत है अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट कानूनी सहायता और इसमें कानूनी सलाह भी सम्मिलित है,

(घ) "विधि व्यवसायी" पद का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में नियत किया गया है,

(ङ) "विधिक कार्यवाही" से अभिप्रेत है किसी न्यायालय का आरम्भ से अन्तिम निपटारे तक सिविल, दाण्डिक या राजस्व कार्यवाही और इसके अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही संस्थिति करने के लिए उठाये गये प्रारम्भिक कदम भी आते हैं,

(च) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 23 के अधीन मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति, और

(छ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन गठित बोर्ड का अध्यक्ष ।

अध्याय–2

बोर्ड का गठन

3. बोर्ड का गठन.––(1) इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जायेगा जो हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सहायता बोर्ड कहलायेगा।

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सहायता बोर्ड की सरंचना निम्न प्रकार से है:––

(1) संरक्षक .. मुख्य मन्त्री ।
(2) अध्यक्ष .. विधि मन्त्री ।

सदस्यगण

(3) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
(4) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार,
(5) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार,
(6) सचिव (कल्याण), हिमाचल प्रदेश सरकार,
(7) महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश,
(8) सरकार द्वारा नाम निर्देशित अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,
(9) सरकार द्वारा नाम निर्देशित अनुसूचित जाति अथवा अनु0 जन-जाति का व्यक्ति।

4. बोर्ड की कार्यकारिणी समिति.––बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्न प्रकार से है:––

(1) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार,
(2) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार,
(3) उप-सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार..संयोजक,
(4) सचिव (कल्याण), हिमाचल प्रदेश सरकार,
(5) सरकार द्वारा नाम निर्देशित अनु0 जाति अथवा अनु0 जन-जाति का व्यक्ति।

5. बोर्ड तथा इसकी समितियों के सदस्यों को देय पारिश्रमिक द्वंव यात्रा भत्ता इत्यादि.––(1) बोर्ड तथा इसकी समिति के सदस्य बोर्ड एवं समिति के कृतयों सम्बन्धित किसी काम को करने के लिए किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

(2) बोर्ड तथा इसकी समिति के उन अशासकीय सदस्यों जो विधान सभा सदस्यों में या संसद सदस्यों से नाम निर्देशित किए जाते हैं, को वही यात्रा एवं दैनिक भत्ता मिलेगा जो उनको विधान सभा के सदस्य अथवा यथास्थिति, संसद सदस्य के रूप में अनुज्ञेय है।

(3) बोर्ड तथा समिति के अन्य अशासकीय सदस्यों को वही यात्रा एवं दैनिक भत्ता मिलेगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

6. सदस्यों द्वारा राज्य सरकार के प्रावाद प्रर्यन्त पद धारित किया जाना.––(1) बोर्ड या उसकी समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद प्रयंत पद धारण करेंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पद के आधार पर बोर्ड या इसकी समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित या नियुक्त किया जाए तो ज्यों ही वह उस पद पर न रह जायेगा त्योंही वह सदस्य न रह सकेगा।

7. सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र.––बोर्ड या उसकी कार्यकारिणी समिति का नाम निर्देशित या नियुक्त सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित त्याग-पत्र कर अपने पद का त्याग कर सकेगा।

8. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.––(1) बोर्ड या उसकी समिति के किसी सदस्य को, उसकी पद त्याग, मृत्यु या अन्य कारण से हुई रिक्ति, जहां तक हो सके, शीघ्र भरी जायेगी।

(2) बोर्ड या उसकी कार्यकारिणी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र उस में रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य न होगी।

9. बोर्ड के अधिकारी और सेवक.––बोर्ड अपने उतने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा जितने कि वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहण के लिए आवश्यक समझे, और बोर्ड के ऐसे अधिकारी और सेवक उन्हीं सेवा शर्तों के अध्यधीन होंगे जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाएं।

अध्याय 3

बोर्ड तथा कार्यकारिणी के कृत्य

10. बोर्ड के कृत्य.––बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे:––

(क) (1) समिति के कार्य।
(2) सम्पूर्ण राज्य में कानूनी सहायता के संचालन और प्रशासन का पर्यवेक्षण, निदेश एवं नियन्त्रण करना;
(ख) कानूनी सहायता के लिए व्यय मन्जूर और आवंटित करना;
(ग) सहायता प्राप्त व्यक्तियों को अधिनिर्णीत खर्चे की वसूली के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करना;
(घ) विभिन्न समितियों से कालिक रिपोर्ट मांगना;
(ङ) कानूनी सहायता तथा कानूनी सलाह के प्रशासन, मुकद्दमेंबाजी, तथा खर्च और विलम्ब को कम करने के लिए न्यायालयों के व्यवहार और प्रक्रिया में सुधार के विषय में राज्य सरकार को सिफारिशों पर पेश करना;
(च) अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए समितियों को साधारण या विशेष निर्देश देना;
(छ) राज्य सरकार को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पेश करना;
(ज) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में फाईल किए जाने वाले लम्बित केसों की, कानूनी सहायता देने के लिए छानबीन करना;
(झ) कानूनी कार्यवाहियों में सुलह को प्रोत्साहित करना,
(ञ) कल्याण विभाग के माध्यम से, विशिष्टत: जनता के कमजोर वर्ग के सदस्यों को, सिविल अधिकारों तथा विभिन्न अधिनियमतियों के अधीन उन्हें उपलब्ध अधिकारों से शिक्षित और अवगत कराना;
(ट) इन नियमों के उद्देश्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिन्हें बोर्ड विनिश्चित और राज्य सरकार निर्देशित करें।

अध्याय 4

बोर्ड तथा कार्यकारिणी समिति के कारोबार का संचालन

11. कारोबार का संचालन.—इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन बोर्ड तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की प्रक्रिया वही होगी जो बोर्ड अवधारित करें।

12. बैठक का कार्यवृत.—(1) बोर्ड या इसकी कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नामों और उसकी कार्यवाहियों का एक कार्यवृत रखा जायेगा कार्यवृत यथास्थिति, बोर्ड या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सभी उचित समयों पर, निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) कार्यवृत हिन्दी (देवनागरी लिपि) में लिखित रूप में होगा।

13. कोरम.—बोर्ड या कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कोरम, तत्समय बोर्ड या कार्यकारिणी समिति को गठित करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का होगा।

अध्याय 5

कानूनी सहायता समितियों का गठन

14. उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति का गठन, अवधि एवं कृत्य.—(1) राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए कानूनी सहायता समिति का गठन करेगी जो उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति कहलाएगी। उक्त कानूनी सहायता समिति की संरचना निम्न प्रकार से की जा सकती है :—

(क) मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश द्वारा नाम निर्देशित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, अथवा सरकार द्वारा नाम निर्देशित, किसी उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश .....अध्यक्ष।

सदस्यगण

(ख) सचिव, विधि विभाग।
(ग) महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश.....संयोजक।
(घ) अध्यक्ष, विधिज्ञ परिषद्।
(ड़) अनुसूचित जाति तथा अनु0 जन-जाति का प्रतिनिधि।

(2) उच्च न्यायालय कानूनी सहायता के ऐसे पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी वृन्द होंगे जिन्हें राज्य सरकार अनुमोदित करें।

(3) समिति अपने कारोबार के संचालन के लिए ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जैसी वह समुचित समझें या जैसी राज्य कानूनी सहायता बोर्ड समय समय पर विहित करें।

(4) यदि कोई व्यक्ति समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहता तो उसकी रिक्ति उसी ढंग से भरी जाएगी जिस ढंग से उसकी मौलिक नियुक्ति की गई है:

परन्तु जहां राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि रिक्ति को नियमानुसार भरने में कुछ समय लगने की सम्भावना है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो राज्य सरकार, उस कालावधि के लिए जब तक रिक्ति नियमानुसार नहीं भरी जाती, अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन एवं उसकी शक्तियों के प्रयोग करने हेतु अथवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(5) इस समिति के अशासकीय सदस्यों की पदावधि इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगी :
परन्तु राज्य यदि सरकार आवश्यक समझें तो—

(क) समिति को विघटित कर सकेगी तथा पुनर्गठित कर सकेगी।

(ख) समिति के किसी अशासकीय सदस्य की रिक्ति को भर सकेगी अथवा किसी अशासकीय सदस्य की पदावधि उतनी बढ़ा सकेगी जितनी राज्य सरकार उपयुक्त समझें।

(6) उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति, पात्र व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगी ताकि वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित, स्थिति की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के खर्च का पूर्णत: या अंशत: वहन करने में समर्थ हो सकें।

15. बैठक का संचालन.—उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति की बैठकों के बारे में नियम 11, 12 और 13 यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे :

परन्तु यहां पर न्यायालय की भाषा, हिन्दी से भिन्न है तो उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति का अभिलेख स्वेच्छा से न्यायालय की भाषा अथवा हिन्दी (देवनागरी लिपि) में रखें जाएंगे।

16. ज़िला तथा उप-मण्डल कानूनी सहायता समितियों का गठन, अवधि एवं कृत्य —(1) राज्य सरकार, उपयुक्त व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला एवं उप-मण्डलीय मुख्यालयों में, कानूनी सहायता समितियां गठित करेगी। ऐसी प्रत्येक समिति, उस स्थान को, जहां इसका मुख्यालय नियत हो, कानूनी सहायता समिति कहलाएगी।

(2) ज़िला समिति राज्य सरकार द्वारा यथा नाम-निदेशित सात सदस्यों की और उप-मण्डलीय समिति पांच सदस्यों की होगी।

ज़िला कानूनी सहायता समिति तथा उप-मण्डल कानूनी सहायता समिति की संरचना निम्न प्रकार से की जा सकती है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड को रहेगा:—

ज़िला कानूनी सहायता समिति

(क) जिला मैजिस्ट्रेट .. अध्यक्ष
(ख) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट .. सदस्य
(ग) अध्यक्ष ज़िला विधिज्ञ परिषद् .. सदस्य

(घ) यथास्थिति जिला अटार्नी एवं लोक अभियोजक अथवा सहायक जिला अटार्नी एवं लोक अभियोजक	..	सदस्य सचिव
(ङ) जिला कल्याण अधिकारी	..	सदस्य
(च) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित दो अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्ति	..	सदस्य

उप-मण्डलीय कानूनी सहायता समिति

(क) उप-मण्डल पदाधिकारी	..	अध्यक्ष
(ख) उप-मण्डल का न्यायिक मैजिस्ट्रेट	..	सदस्य
(ग) सहायक लोक अभियोजक	..	सदस्य सचिव
(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित से अनुसूचित जाति/जन-जाति का व्यक्ति	..	सदस्य
(ङ) राज्य सरकार द्वारा नाम निदेशित समाज सेवक	..	सदस्य

(3) समिति के अशासकीय सदस्यों की पदावधि इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगी: परन्तु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझें :--

(क) समिति को विघटित और पुनर्गठित कर सकेगी,

(ख) समिति के किसी अशासकीय सदस्य की रिक्ति को भर सकेगी, और

(ग) समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहता तो उसकी रिक्ति उसी ढंग से भरी जाएगी जिस ढंग से उसकी मौलिक नियुक्ति की गई हो :

परन्तु जहां राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि रिक्ति को नियमानुसार भरने में कुछ समय लगाने की सम्भावना है और परिस्थितियां ऐसी हैं तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो राज्य सरकार उस कालावधि के लिए जब तक रिक्ति नियमानुसार नहीं भरी जाती, अध्यक्ष के निर्वहन एवं उसकी शक्तियों के प्रयोग करने हेतु अथवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

17. समितियों के सदस्यों का देय पारिश्रमिक एवं दैनिक भत्ता.--समिति का कोई भी सदस्य, समिति के कृत्यों से सम्बन्धित किसी काम को करने के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

(2) समिति के उन अशासकीय सदस्यों, जो विधान सभा सदस्यों या संसद सदस्यों में से नाम निर्देशित किये जाते को वही यात्रा एवं दैनिक भत्ता मिलेगा जो उनका यथा स्थिति, विधान सभा सदस्य अथवा संसद् सदस्य के रूप में अनुज्ञेय है।

(3) समिति के अन्य अशासकीय सदस्यों, जो उप-मण्डलीय कानूनी सहायता समिति के सदस्य नहीं हैं, को वही यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग के अधिकारियों को अनुज्ञेय है तथा उप-मण्डलीय कानूनी सहायता समिति के अशासकीय सदस्यों को वैसा यात्रा एवं दैनिक भत्ता मिलेगा जैसा कि राज्य सरकार के द्वितीय वर्ग के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

अध्याय 6

बोर्ड की निधियां

18. बोर्ड की निधियां.—(1) बोर्ड की एक अपनी निधि होगी और वह उसे कायम रखेगा और बोर्ड की सभी प्राप्तियां उसी में आकलित होंगी और बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान उसी से होंगे।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित होते हुए भी राज्य सरकार इन नियमों के अन्तर्गत गठित प्राथमिक समितियों को उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु, आवश्यक धनराशि आंवटित करेगी तथा तत्सबन्धी समितियां राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार ऐसी आंवटित धनराशि के लेखें रखेगी और उनको संपरीक्षित करवायेगी तथा उनसे सम्बन्धित सभी अन्य वितीय औपचारिकतायें एवं अपेक्षित बातें पूरी करेगी।

(3) बोर्ड इन नियमों के सभी या किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या किसी व्यक्ति या निकाय से चाहे वह नियमित हो या नहीं आर्थिक सहायताऐं चन्दे और दान प्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड की निधि इसके द्वारा नियमों के प्रयोजनों, जिनके लिए एतद्द्वारा गठित समितियों को धनराशि का आवंटन किया जाये को कार्यान्वित करने में लगायी जाएगी ।

(5) बोर्ड की निधियां ऐसी रीति से जमा की जायेंगी जिसें राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निर्देशित करें, और

(6) लेखा ऐसे अधिकारी द्वारा संयुक्त या व्यक्तिगत रूप में संचालित किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

19. बोर्ड का बजट.—(1) बोर्ड प्रति वर्ष ऐसी तारीख तक, जिसे राज्य सरकार नियत करें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दशार्ते हुए अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड एक पूरक बजट ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख तक, जो विहित की जाये, राज्य सरकार की मन्जूरी के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

20. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) बोर्ड वित्तीय वर्ष के अन्त से तीन महीने के भीतर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण वृतान्त देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति से तैयार और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा जो अधिकथित की जाये।

21. बहियों और लेखों का रखा जाना.—(1) बोर्ड समुचित लेखा बहियों तथा ऐसी अन्य बहियां, जो अपेक्षित हो, कायम रखेगा और लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगा।

(2) बोर्ड अपने लेखाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित करायेगा जिसे राज्य सरकार निर्देशित करें।

(3) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा ज्यों ही हो जाए, बोर्ड उसकी एक प्रति संपरीक्षक (आडिटर) की रिपोर्ट तथा उस पर बोर्ड की टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेज देगा।

(4) बोर्ड संपरीक्षक (आडिटर) की रिपोर्ट और उस पर अपनी टिप्पणी के परिशीलन के बाद उन निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हे राज्य सरकार निर्गत करना उपयुक्त समझे।

22. सांख्यिकीय विवरणियां और विवरण.—बोर्ड राज्य सरकार को ऐसे सांख्यिकी, विवरणियां, विशिष्टियां या विवरण ऐसे समय और ऐसे प्रारूप और रीति से, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर निर्देशित करे प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 7

कानूनी सहायता एवं कानूनी सलाह

23. सहायता के पात्र व्यक्ति.—ये नियम ऐसे व्यक्तियों जिनकी सभी विदित स्रोतों से होने वाली मासिक आय 300 रुपये से अधिक नहीं होगी पर लागू होंगे।

24. वे मामले जिनमें कानूनी सहायता दी जा सकेगी.—(1) पूर्ववर्ती नियम के उपबन्धों के अध्याधीन किसी विधिक कार्यवाही में कानूनी सहायता तभी दी जा सकेगी यदि :—

(क) निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, अर्थात्:—

(1) प्रथम दृष्टा मामला है, और

(2) दावा उचित है और कानूनी सहायता के अभाव में दावेदार अपना विधिक अधिकार पाने में असमर्थ है।

(ख) पक्षकार ने इन नियमों के अधीन दी गई कानूनी सलाह, यदि कोई हो, के अनुसार कार्य किया है।

(2) उप-नियम (1) के उपबन्धों के अध्याधीन, जिला कानूनी सहायता सलाह समिति स्वप्रेरणा से या कानूनी सहायता के विषय में अपने द्वारा प्राप्त सूचना पर या सम्बद्ध व्यक्ति के आवेदन पर विधि कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कानूनी सहायता दे सकेगी।

(3) कानूनी सहायता किसी न्यायालय में ऐसी विधिक कार्यवाहियों में अनुमान्य होगी जिसमें किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व प्रमाणित न हो।

25. कानूनी सहायता का प्रकार.—इन नियमों के अधीन कानूनी सहायता निम्नलिखित किसी या सभी प्रकार से दी जा सकेगी जैसे—

(क) कोर्ट फीस, आदेशिक फीस, गवाहों पर खर्च तथा विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में देय तथा अन्य सभी चार्ज,

(ख) किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी विधि कार्यवाही में प्रतिनिधित्व,

(ग) किसी विधिक कार्यवाही के संस्थित करने से पूर्व, यथावश्यक पूर्वक विधि सलाह के लिए देय फीस,

(घ) किसी विधिक कार्यवाही के फैसले और आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति,

(ङ) किसी कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों के मुद्रण और अनुवाद सहित अपील कागज पत्र बही की तैयारी,

(च) ऐसा कोई अन्य प्रकार जो उपयुक्त समझा जाये।

26. वे मामले जिनमें कानूनी सहायता नहीं दी जाएगी.—निम्नलिखित मामलों में किसी प्रकार की कानूनी सहायता या कानूनी सलाह अनुदत नहीं की जाएगी या नहीं दी जाएगी :—

(क) मानहानि,

(ख) विवाह वचन भंग,

(ग) विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए नुक्सानी,

(घ) निर्वाचन सम्बन्धी विषय,

(ङ) जहां किसी व्यक्ति ने आर्थिक अपराध, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22), स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (1956 का 104), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) तथा देहज प्रतिशोध तथा बाल विवाह अवरोध जैसी सामाजिक विधियों के विरुद्ध कोई अपराध किया हो,

(च) ऐसे अन्य मामले जहां समिति का कारणों का उल्लेख करते हुए, अभिमत हो कि कानूनी सहायता उपलब्ध करना समुचित नहीं हो, या

(छ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

27. कानूनी सहायता के लिए आवेदन.—(1) आवेदन इन नियमों में उपबन्ध परिशिष्ट "क" में विहित किये गये प्रारूप में तत्सम्बन्धी कानूनी सहायता समिति के सचिव के कार्यालय में लिया जायेगा जो इसके लिए रसीद देगा।

(2) जिस कानूनी सहायता समिति के पास उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किया जाये वह, इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन, आवेदक को कानूनी सहायता का अनुदान मन्जूर करने वाले आदेश ऐसी प्रारुप में देगा जो विहित किया जाये।

(3) कानूनी सहायता समिति, सहायता प्राप्त व्यक्ति को कानूनी सहायता के प्रदान करने के आदेश की एक प्रति उस न्यायालय को भेज देगी जिसमें विधिक कार्यवाही संस्थित की जाने वाली हो या निपटारे के लिए लम्बित हो।

28. अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही किया जाना.—यदि इन नियमों के विभिन्न उपबन्धों के अधीन गठित, किसी समति के अध्यक्ष की राय में कि ऐसी आवश्यकता आ गई है जिसमें तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो गया है, तो उसका अध्यक्ष, सम्बद्ध समिति के अनुमोदन की प्रत्याशी में, ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी वह आवश्यक समझें और वह तदोपरान्त यथाशीघ्र अपने इस कार्य की रिपोर्ट समिति को दे देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त कर लेने पर यदि, सम्बद्ध समिति अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही को अनुमोदित न करे तो यह इस विषय को निम्नलिखित के पास निर्दिष्ट कर देगी :—

(1) उच्च-न्यायालय कानूनी सहायता समिति या जिला सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही की दशा में बोर्ड के पास,

(2) उप-मण्डल कानूनी सहावता समिति के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही की दशा में जिला कानूनी सहायता समिति के पास जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

29. आवेदक द्वारा करारनामा तथा प्राभिकरण का निष्पादन.—(1) दाणिक कार्यवाही के अतिरिक्त उन सब मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदत्त की गई है, आवेदन को इन नियमों के परिशिष्ट "ख" पर विहित प्रपत्र में एक करारनाम निष्पादित करना होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी कार्यवाही में उसके/उनके पक्ष में दी गई अज्ञप्ति या पारित आदेश के निष्पादन के लिए सरकार को सशक्त करने तथा वसूलियों में से ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने में व्यय करनी पड़ी की प्रतिपूर्ती के लिए आवश्यक है के विनियोग करने हेतु प्रपत्र "ग" में एक अपरवर्त्य प्राभिकरण-पत्र भी निष्पादित करना होगा।

(3) उप-नियम (1) अथवा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त या वसूल की गई सब धन राशियां राज्य सरकार के कोष में जमा होंगी।

30. वकील का नामित किया जाना.—ज्योंही समिति किसी आवेदक को कानूनी सहायता अनुदत्त करने का विनिश्चय करे तथा आवेदक पूर्ववर्ती नियम में विनिर्दिष्ट करारनामा तथा प्राभिकरण-पत्र निष्पादित करें त्योंही कानूनी सहायता समिति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए राज्य पैनल के वकीलों में से एक उपयुक्त वकील को नामित करेगी, जो आवेदक को अपनी सेवायें निःशुल्क प्रदान करेगा और सम्बद्ध कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करेगा। उसे फीस के रूप में ऐसी रकम दी जाएगी जैसे कि इन नियमों के नियम 45 में अधिकाधित है।

31. परिव्यय का भुगतान अनुदान में किया जाना.—आवश्यक दस्तावेजों की नकलों के लिए तथा सम्बद्ध कार्यवाही में अदायदेयगवहा खर्च के बारे में सभी परिव्यय उक्त अनुदान, से ही भुगताए जाऐंगे ।

32. समिति द्वारा लेखाओं को कायम रखा जाना.—इन नियमों के अधीन कानूनी सहायता की आय और व्यय के विषय में समिति द्वारा एक पृथक लेखा कायम रखा जाएगा।

33. कानूनी सहायता का रद्द किया जाना.—(1) समिति, स्वप्रेरणा से या उस प्राधिकारी के आवेदन करने पर जिसने सहायता अनुदत की हो, उस व्यक्ति को अनुदत सहायता, यदि —

(क) वह व्यक्ति सम्बद्ध कार्यवाही के अनुक्रम में तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी पाया गया हो, अथवा

(ख) यह प्रतीत हो कि उसकी आय अब इतनी हो गयी है कि उसे कानूनी सहायता पाते नहीं रहना चाहिए, अथवा

(ग) उसने नियम 30 के अधीन सौंपे गए वकील से भिन्न वकील रख लिया हो, अथवा

(घ) किसी अन्य पर्याप्त कारण से समिति का यह विचार हो कि उसे कानूनी सहायता जारी रखना समुचित न होगा,

तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऐसा करने के आशय का कम से कम सात दिनों का लिखित नोटिस देने तथा इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुदत सहायता रद्द कर सकेगी ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कानूनी सहायता समिति का विनिश्चय, अपील पर उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति के विनिश्चय के अध्याधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

34. उपगत खर्चों का प्रतिपूरित किया जाना.—किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें कोई सहायता प्राप्त व्यक्ति एक पक्षधार हो, यदि न्यायालय सहायता प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में खर्चे सहित कोई आदेश या डिग्री पारित करे तो ऐसा सहायता प्राप्त व्यक्ति कानूनी सहायता में उक्त समिति द्वारा उपगत सभी खर्च समिति को प्रतिपूरित करने का दायी होगा और उसके ऐसा करने में असफल होने पर, उसके द्वारा देय रकम उस रीति से वसूली योग्य होगी जैसे वह भू-राजस्व का कोई बकाया हो ।

35. विधि व्यवसायों का किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति से कोई फीस प्राप्त नहीं करना.—ऐसे विधि व्यवसायी जिनको इन नियमों के अधीन फीस देय हो, या भुगतायी गयी हो, सहायता प्राप्त व्यक्ति से कोई फीस पाने का हकदार न होगा और न ही वह प्राप्त करेगा।

स्वयं सेवा कानूनी सहायता एजेंसियां

36. स्वयं सेवा कानूनी सहायता एजेन्सी.—(1) बोर्ड स्वेच्छा कानूनी सहायता प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जैसा कि वह उचित समझे, स्वयं सेवा कानूनी सहायता केन्द्रों या क्लिनिकों को मान्यता प्रदान करेगी। ऐसी प्रत्येक केन्द्र या क्लिनिक एक अधिवक्ता के प्रभाराधीन होगा। कई अधिवक्ता मिल कर एक सामान्य केन्द्र या क्लिनिक बना सकेंगे।

(2) स्वयं सेवी सहायता केन्द्र या क्लिनिक, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाये गये मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर सकेगा।

37. कानूनी सहायता के लिए आवेदन और तदुपरि जांच.—(1) कानूनी सहायता के लिए आवेदन के साथ किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हलफनामा संलग्न रहेगा, जिसमें आवेदक द्वारा धारित स्थावर सम्पति का ब्योरा, और यह तथ्य कि उसकी विदित स्त्रोतों से होने वाली मासिक आय 300 रुपये से अधिक नहीं है, उपदर्शित रहेगी:

परन्तु यह कि ऐसा कोई हलफनामा व्यक्ति के आवश्यक नहीं होगा जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित या अनुध्यात कार्यवाही में सहायता के लिये उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति में आवेदन दिया हो, यदि उसे निचले न्यायालय में उसी मामले में कानूनी सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(2) समिति, संदेह की दशा में आवेदक के साधन की अभिनिश्चित करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या किसी अन्य शासकीय अभिकरण के माध्यम से ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे।

(3) अत्यावश्यकता या किन्ही समान कारणों की दशा में, समिति अपने अंतिम विनिश्चय को लम्बित रहने तक, अन्तरिम रूप से कानूनी सहायता अनुज्ञात कर सकेगी।

38. मामले के गुणागुण का अभिनिश्चत किया जाना.—समिति, आवेदक को कानूनी सहायता अनुज्ञात करने के पूर्व, उपबन्ध साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा तथा आवेदक के दावे की सदभाविकता पर भी विचार करेगी जिसके लिए कानूनी सहायता की मांग की गई हो।

39. निर्धन व्यक्तियों की दशा में जांच का नहीं किया जाना.—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 33 के अधीन, जिस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा निर्धन व्यक्ति को प्रसुविधा दी गई हो, वह इन नियमों के अधीन कानूनी सहायता का हकदार होगा और उसके लिए नियम 37 में उल्लिखित हलफनामा देना आवश्यक नहीं होगा और इस विषय में नियम 37 के अधीन कोई जांच नहीं की जायेगी।

40. कानूनी सहायता बन्द कर देने की शक्ति.—समिति आवेदक के आचरण और अन्य सुसंगत परिस्थिति पर विचार कर लेने के पश्चात् किसी समय उससे पूर्व में प्रदत्त कानूनी सहायता बन्द कर सकेगी।

41. असाधारण दशाओं में कानूनी सहायता प्रदान करने की बोर्ड की शक्ति.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य कानूनी सहायता बोर्ड असाधारण कष्ट की दशाओं में, ऐसी जांच यदि कोई

हो, कर लेने के पश्चात् जैसा यह आवश्यक समझे कानूनी सहायता समिति को किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी सहायता अनुज्ञात करने का निदेश दे सकेगा, जो बोर्ड की राय में, इन नियमों के अन्तर्गत ऐसी सहायता के योग्य है, यद्यपि वह अन्यथा इसका हकदार नहीं है।

42. सुलह.—समिति उन विवादों में, जिनमें कानूनी सहायता चाहने वाला व्यक्ति पक्षकार हो, समझौता या सुलह कराने का प्रयास करेगी।

43. मुकद्दमेंबाजी प्रारम्भ होने के पूर्व कानूनी सहायता देना.—समिति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए ऐसे वकीलों का एक पैनल रखेगी, जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए सहमत है। ऐसी सहायता, सामान्यतः तथा मामलों उन्हीं में उनके न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में जाने के पूर्वक, सलाह देने तक ही समिति रहेगी, किन्तु समिति पैनल के किसी विधि व्यवसायी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में किसी साधन विहिन व्यक्ति का पक्ष-पत्र (ब्रोक) स्वीकार करें।

44. पैनल के वकीलों की नियुक्ति.—(1) राज्य सरकार द्वारा न्यायिक कार्यवाहियों में गरीबों को कानूनी सहायतार्थ पैनल वकीलों और पक्ष-पात्र धारकों की नियुक्ति की जायेगी। किसी जिले, उप-मण्डल या उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किये जाने वाले पैनल वकीलों और पक्षपत्र धारकों की संख्या राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी।

(2) पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट पैनल के वकील तथा अन्य जो उसमें सम्मिलित किये जायें, राज्य सरकार के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेशन में रहते हुए, अपने कृत्यों जो कि तत्सम्बन्धी समिति उनके अपेक्षित करती हो, का निर्वहन करेंगे।

45. पैनल वकीलों को देय फीस.—पूर्वगामी नियम में निर्दिष्ट वकीलों को फीस ऐसी दरों पर देये होगी जिन पर,—

(क) उच्च न्यायालयों में सरकारी वकीलों को,

(ख) जिला न्यायालयों तथा निचले न्यायालयों में सरकारी वकीलों या लोक अभियोजकों को, दीवानी या फौजदारी मामलों में विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत देय होती हो।

46. मामलों का पैनल वकीलों को न्यस्त किया जाना.—समिति पैनल वकीलों या पक्षपत्र धारकों को, ऐसी रीति से पक्षपत्र न्यस्त करेगी जैसे वह उचित समझे। जब तक कि समिति सन्तुष्ट न हो जाए कि उनके अपने हितों में परस्पर विरोध है, तब तक किसी एक मामले में अन्तर्ग्रस्त पृथक-पृथक आवेदकों के लिए पृथक-पृथक काउंसेल की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

47. कानूनी सहायता के अन्य प्रकार.—उन आवेदकों को जिन्हें कानूनी सहायता दी जा चुकी हो, अनुदत्त डिग्री के निष्पादन या अनुतोषक के प्रवर्तन के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सकेगी।

असाधारण दशाओं में, जहां समिति सन्तुष्ट हो जाए कि आवेदक की आदेशिका करने या गवाहों को हाजिर करने की फीस के भुगतान अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिप्राप्त खर्च का वहन करने का भी साधन नहीं है, वहां यह ऐसे खर्चों की भी व्यवस्था कर सकेगी।

48. कैदियों को सुविधा.—कैदियों, जिनमें विचाराधीन कैदी भी आते हैं, जब तक वे हिरासत में हैं और सहायता प्राप्त करने के अच्छुक हैं, को कानूनी सहायता अनुदान एवं वैद्य परामर्श के लिए आवेदन देने तथा उसे प्राप्त करने के लिए हर सम्भव सुविधा प्रदान की जायेगी।

49. कठिनाईयों का निराकरण करना.—(1) यदि इन नियमों के उपबन्धों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हो/होती है तो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या इन नियमों के अध्यधीन गठित किसी समिति अथवा बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इन नियमों के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई के निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) समिति तथा बोर्ड ऐसे निदेशों, जो उप-नियम (1) के अधीन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये जायें को प्रतिपालित करेगी/करेगा।

50. निरसन.—(1) गरीबों को कानूनी सहायता (हिमाचल प्रदेश) नियम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कानूनी सहायता नियम, 1974, एतद्द्वारा निरसन किये जाते हैं।

(2) इन नियमों के अधीन की गई कोई भी बात, या की गई कोई भी कार्यवाही, (उक्त नियमों के अधीन दिए गए किन्हीं निदेशों और आदेशों को सम्मिलित करते हुए) इन नियमों के अधीन की गई समझी जायेगी मानों कि यह नियम उस दिनांक को, जिसको ऐसी बात की गई थी या ऐसी कार्यवाही की गई थी, प्रवृत थे।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार।

परिशिष्ट-क

[नियम 27 की उप-धारा (1) देखिए]

कानूनी सहायता के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

कानूनी सहायता समिति

1. आवेदक का नाम एवं पता
2. क्या वह हिमाचल प्रदेश में निवास करता है/करती है।
3. उसका व्यवसाय
4. (क) क्या वह कोई सम्पति धारण करता/करती है?
   (ख) यदि हां तो उसका ब्योरा—
   (1) अचल
   (2) चल
5. सभी विदित स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय (अचल, चल तथा अन्य सम्पति एवं व्यवसाय से प्राप्य आय का ब्योरा अलग-अलग देना अपेक्षित है)।

6. आवेदक के परिवार के अन्य सदस्यों की वार्षिक आय।
7. क्या आवेदन केवल कानूनी सहायता या कानूनी परामर्श अथवा दोनों के लिए है?
8. वैधिक सलाह के लिए विषादक तथ्यों का तथा सलाह वाद हेतु का स्पष्ट वर्णन कीजिए। वैधिक सहायता हेतु कार्यवाही जहां (न्यायालय) वह लम्बित है इत्यादि के पूर्ण विवरण का स्पष्ट वर्णन करें।
9. (क) क्या पहले भी कभी कानूनी सहायता के लिए आवेदन किया गया है, या उक्त कानूनी सहायता अनुदत अथवा अस्वीकार की गई है?
   (ख) यदि हां तो उसका ब्योरा
10. क्या नियम 37 में निर्दिष्ट हलफनामा संलग्न है?
11. अन्य कोई विवरण जो आवेदक देना चाहे।

दिनांक.....
स्थान.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मैं.....आवेदक एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/शपथ लेता हूं और कहता हूं कि ऊपर वर्णित मेरी पूर्ण जानकारी, ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और इसके साक्ष्य में मैंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-ख

[नियम 29 की उप-धारा (1) देखिए]

(राज्य सरकार द्वारा कानूनी सहायता में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ती के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करारनामों का प्रारूप)

यह करार श्री/श्रीमती.....सपुत्र/सपुत्री श्री.....जिनकी आयु.....वर्ष है और.....निवास करता/करती है (जिसे इसके पश्चात् "पात्र व्यक्ति" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) द्वारा राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) के पक्ष में आज तारीख.....को किया गया।

यत:.....समिति ने पात्र व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश राज्य गरीबों को कानूनी सहायता के नियम, 1980 के अनुसार.....के उच्च न्यायालय/न्यायालय में मुकदमा संख्यांक..... बनाम.....को इसके पश्चात् "विधिक कार्यवाही" से विनिर्दिष्ट है कानूनी सहायता करने का विनिश्चय किया है:—

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि उपर्युक्त के प्रतिफलस्वरूप पात्र व्यक्ति एतद्द्वारा प्रसंविदा एवं इकरार करता है कि यदि पात्र व्यक्ति विधिक कार्यवाही में सफल हो जाता है तथा विपक्षी से,

(क) कोई धनराशि, जिसके अन्तर्गत खर्चे भी आते हैं अथवा,

(ख) कोई अन्य आय देने वाली या देने योग्य सम्पति को पुनः प्राप्त करने का हकदार हो जाता है तो वह उक्त धनराशि अथवा सम्पति को विपक्षी से बसूल करेगा तथा ऐसी बसुली हो जाने पर वह सर्वप्रथम सरकार के उस सीमा तक जो सरकार द्वारा उसे कानूनी सहायता देने में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक है, भुगतान करेगा ।

पात्र व्यक्ति यह भी करार करता है कि यदि वह विपक्षी से उक्त धनराशि को वसूल करने में कोई कार्यवाही नहीं करता अथवा जब वसूल हो जाए तो सरकार को देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो इस विषय में उपलब्ध अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार अथवा समिति को संदेय रकम को, भू-राजस्व के बकाया रूप में, वसूल करने का हक होगा ।

यह करार किया जाता है कि स्टाम्प शुल्क सरकार देगी ।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकार उक्त तारीख को इसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं । उक्त पात्र व्यक्ति ने—

(1).....

(2).....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए.....

(पात्र व्यक्ति के हस्ताक्षर,)

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, के लिए और उनकी ओर से

(1).....

(2).....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए.....

(प्राधिकृत अधिकारी द्वारा)

(परिशिष्ट-ग)

[नियम 29 का उप-नियम (2) देखिए]

(निष्पादित किये जाने वाला अपरवर्त्य प्राभिकरण पत्र का प्रारूप)

यह प्राभिकरण पत्र श्री/श्रीमती.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....जिनकी आयु.....वर्ष है और.....में निवास करता है/करती है (जिसे इसमें आगे "पात्र व्यक्ति" कहा गया है) द्वारा राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें आगे "सरकार" कहा गया है) के पक्ष में आज तारीख.....को दिया गया ।

यतः.....समिति ने पात्र व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश राज्य गरीबों को कानूनी सहायता के नियम, 1980 के अनुसार.....के उच्च न्यायालय/न्यायालय में मुकदमा संख्या..... बनाम.....(जिसे इसमें "विधिक" कार्यवाही कहा गया है) कानूनी सहायता अनुदत्त की है ;

और यतः पात्र व्यक्ति ने प्रसंविदा एवं इकरार किया है कि किसी धनराशि की वसूली जिसमें खर्चे अथवा अन्य सम्पति जो कोई आय दे रही है या देने योग्य है, की कार्यवाही में उसके पक्ष में किसी आज्ञप्ति या पारित आदेश का सरकार निष्पादन कर सकती है ।

अतः यह विलेख इस बात का साक्षी है कि पात्र व्यक्ति अपने नाम पर तथा अपनी ओर से एतद्द्वारा सरकार को:

(1) विधिक कार्यवाही में दी गई उक्त आज्ञप्ति अथवा किए गए आदेशों को निष्पादन या पालन करवाने हेतु,

(2) उसके अन्तर्गत उक्त रकम या सम्पति को वसूल करने अथवा पुनः प्राप्त करने हेतु तथा

(3) उसमें से उसके ऐसे भाग जो, जितनी सरकार द्वारा अनुदत की गई कानूनी सहायता के लिए उपगत धनराशि के शोधन के लिये आवश्यक है; के विनियोजन हेतु अपना प्राभिकता नियुक्त करता/करती है ।

और पात्र व्यक्ति को यह भी मन्जूर है कि प्राप्तिकर्ता के रूप में इस विलेख के आधार पर सरकार जो कुछ भी विध्यनुसार करेगी या करवायेगी उसका यह अनुसमर्थन एवं पुष्टि करेगा।

और पात्र व्यक्ति को यह भी मान्य है कि यह प्राभिकरण पत्र अपरावर्त्य होगा। इसके साक्ष्य में पात्र व्यक्ति ने इस विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(पात्र व्यक्ति के हस्ताक्षर)
जय चन्द,
सचिव।

Simla-171002, *the* 18*th September*, 1980

No. LLR-D-(1)-1/76.—Whereas the poor and weaker sections of the society are handicaped in enforcing their legal rights;

And whereas Article 39-A of the Constitution of India provides for free legal aid, it is obligatory for the State Government to provide free legal aid to the poor and weaker classes;

And whereas the problem to provide free legal aid to the poor has assumed the nature of a national policy, and that this subject has been engaging the attention of the State Government;

And whereas at present there are different sets of rules in force in the State to provide free legal aid to the poor, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and that the State Government is of the opinion that it is necessary to make modifications and amendments in the different rules, for the time being in force, and to replace them with a single set of comprehensive rules so that all such sections of society as owing to their economic and other difficulties have been enable to enforce their legal rights, may get equal opportunities for securing justice.

Now, therefore, in order to facilitate the enforcement of the legal rights by economically and socially weaker classes of people, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules:—

THE HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL AID TO THE POOR RULES, 1980

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Aid to the Poor Rules, 1980.

(2) These rules shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These rules shall come into force from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf and differrent dates may be appointed for different areas.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "aided person" means a person to whom the legal aid is provided under these rules;

(*b*) "Board" means the Himachal Pradesh State Legal Aid Board constituted under rule 3;

(*c*) "legal aid" means the legal aid provided in Chapter VII and it includes legal advice;

(*d*) the expression "legal practitioner" shall have the same meanings as have been assigned to it under the Advocate Act, 1961 (25 of 1961);

(*e*) "legal proceedings" means the proceedings in any court in any civil, criminal or revenue matter, from its institution till its final disposal, and includes the preparatory steps taken for the institution of such proceedings;

(*f*) "eligible person" means a person who is eligible to free legal aid under rule 23 of these rules; and

(*g*) "Chairman" means the Chairman of the Board constituted under rule 3 of these rules.

CHAPTER II

CONSTITUTION OF THE BOARD

3. Constitution of the Board.—(1) For carrying out the purposes of these rules, a Board shall be constituted by the State Government, and it shall be known as "the Himachal Pradesh State Legal Aid Board".

(2) The Himachal Pradesh State Legal Aid Board shall consist of the following:—

(*i*) Patron.....the Chief Minister.

(*ii*) Chairman.....the Law Minister.

Members

(*iii*) the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh;

(*iv*) the Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh;

(*v*) the Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;

(*vi*) the Secretary (Welfare) to the Government of Himachal Pradesh;

(*vii*) the Advocate General, Himachal Pradesh;

(*viii*) an Advocate of Himachal Pradesh High Court, nominated by the Himachal Pradesh Government; and

(*ix*) a person representing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, nominated by the Himachal Pradesh Government.

4. Executive Committee of the Board.—The Executive Committee of the Board shall consist of as under:—

(*i*) the Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.....Convener;
(*ii*) the Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;
(*iii*) the Deputy Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh;
(*iv*) the Secretary (Welfare) to the Government of Himachal Pradesh;
(*v*) a person representing the scheduled castes and scheduled tribes, nominated by the Government.

5. Remuneration and allowances payable to the members of the Board and its committee.—(1) The members of the Board and its committee shall not be entitled to any remuneration for any work connected with the functions of the Board or its committee.

(2) The non-official members of the Board and its committee, who are nominated either from amongst the members of the State Legislature or from amongst the members of the Parliament, shall be paid travelling and daily allowances as may be admissible to them as such member of the State Legislature or the Parliament, as the case may be.

(3) The other non-official members of the Board and its committee shall be paid travelling and daily allowances as are admissible to Grade I Officers of the State Government.

6. Members to hald office at the pleasure of the Government.—(1) All members of the Board and its Committee, other than the ex-officio members, shall hold office at the pleasure of the State Government.

(2) Wherever any person is nominated or appointed as a member of the Board or its Committee by virtue of the post or office held by him, he shall forthwith cease to be such a member if he ceases to hold such post or office.

7. Resignation by members.—A member of the Board or its Executive Committee, nominated or appointed, may resign his office by submitting a letter of resignation, addressed to the Chairman.

8. Filling up the casual vacancis.—(1) Any vacancy of a member of the Board or its Executive Committee caused by resignation, death or otherwise, shall be filled up as early as may be practicable.

(2) The mere existence of any vacancy shall not render any action or proceedings of the Board or its Executive Committee to be invalid.

9. Officers and servants of the Board.—The Board may appoint as many officers and servants as it may consider necessary for the efficient performance of its functions under these rules and such officers and servants of the Board shall be governed by such rules and conditions of service, as may be, from time to time, laid down by the Board.

CHAPTER III

FUNCTIONS OF THE BOARD AND ITS EXECUTIVE COMMITTEE

10. Functions of Board.—The functions of the Board shall be as under:—

(*a*) (*i*) to ensure the functioning of the Committees;
(*ii*) to supervise, direct and control the administration and management of legal aid throughout the State;
(*b*) to sanction the expenditure of, and allocate the funds for, the legal aid;

(*c*) to initiate action for the recovery of the costs of litigation awarded to aided persons;
(*d*) to call for periodical reports from various Committees;
(*e*) to recommend measures to the State Government for the purpose of improving the administration of legal aid and legal advice, and to suggest the reforms in the working and procedure of courts tc minimise the litigation, and the expenses and delay thereof;
(*f*) to give general or special directions to the committees for the proper discharge of their duties and responsibilities;
(*g*) to submit the annual report of its working to the State Government;
(*h*) to scrutinise the cases for the grant of legal aid in matters to be filed or pending before the High Court or the Supreme Court;
(*i*) to encourage conciliation and settlements in legal proceedings;
(*j*) to educate and enlighten the people, especially the weeker sections of the society through the agency of the Welfare Department about their civil rights and other rights available to them under various enactments;
(*k*) to perform such other duties and to discharge such other functions, for the purposes of implementation of these rules, as the Board may determine or the State may direct.

CHAPTER IV

CONDUCT OF THE BUSINESS OF THE BOARD AND ITS EXECUTIVE COMMITTEE

11. Conduct of business.—Subject to the provisions of these rules, the procedure for the conduct of meetings of the Board and its Executive Committee shall be such as may be determined by the Board.

12. Minutes of the meetings.—(1) The record of the names of the members present in each meeting of the Board and its Executive Committee and proceedings thereof shall be maintained. The record shall be open for inspection, free of any charge, during all reasonable hours to the members of the Board, or, as the case may be, to its executive committee.

(2) The record will be maintained in Hindi in Devnagri script.

13. Quorum.—The quorum for the meeting of the Board or its Executive Committee shall be one third of the total membership of the Board or the Executive Committee at the relevant time.

CHAPTER V

CONSTITUTION OF LEGAL AID COMMITTEES

14. Constitution duration and functions of the High Court Legal Aid Committee.—The State Government shall constitute a legal aid committee for the High Court, which shall be known as 'the High Court Legal Aid Committee'. The said Committee may consist of the following members:—

(*a*) a Judge of the High Court to be nominated by the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, or a retired Judge of the High Court to be nominated by the State Government.....Chairman;

Members

(*b*) the Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh;
(*c*) the Advocate General, Himachal Pradesh.....Convener;
(*d*) the President Bar Council;
(*e*) the representative of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes,

(2) The High Court Legal Aid Committee shall appoint such whole time or part-time employees, as may be approved by the State Government.

(3) The Committee shall follow such procedure for the conduct of its business as it may deem fit, or as may be prescribed by State Legal Aid Board from time to time.

(4) If any person ceases to be the Chairman or the member of the Committee for any reason, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original appointment:

Provided that where the State Government is satisfied that some time is likely to be consumed in filling up the vacancy in accordance with the rules and the circumstances are such as render it necessary to take immediate action, the State Government may appoint any person to discharge the functions and exercise the powers of the Chairman or to act as the member of the Committee till the vacancy is filled up in accordance with the rules.

(5) The term of office of a non-official member of the Committee shall, from the date of its constitution, be three years:

Provided that the State Government, if it thinks it necessary, may earlier—

(*a*) dissolve or reconstitute the Committee;

(*b*) fill up the vacancy of any non-official member or may extend his term, as it may deem fit.

(6) The High Court Legal Aid Committee shall provide the legal aid to the eligible persons to enable them to meet the expenditure, in full or in part, of the proceedings which are pending, instituted or proposed to be instituted before the High Court.

15. Meetings.—The rules 11, 12, and 13, with necessary modifications, shall apply to the meetings of the High Court Legal Aid Committee:

Provided that where the language of the Court is different from Hindi, the record of the High Court Legal Aid Committee shall at its discretion be maintained either in the language of the Court or in Hindi in Devnagri script.

16. Constitution, term and functions of the District and Sub-Divisional Legal Aid Committees.—(1) For providing legal aid to eligible persons, the State Government shall constitute the legal aid committees at the District and Sub-Divisonal headquarters. Every such committee shall be called by the name of the place where its headquarters may be located.

(2) The District Committee and the Sub-Divisional Committee shall consist of seven and five members respectively duly nominated by the State Government.

Without prejudice to the right of the Board to make any alteration from time to time, the District Legal Aid Committee and the Sub-Divisional Legal Aid Committee may be constituted as under:—

District Legal Aid Committee

(*a*) the District Magistrate	*Chairman*
(*b*) the Chief Judicial Magistrate	*Member*
(*c*) the President District Bar Association	*Member*
(*d*) the District Attorney-*cum*-Public Prosecutor or, as the case may be, the Assistant District Attorney-*cum*-Public Prosecutor	*Member-Secretary.*
(*e*) the District Welfare Officer	*Member*

(*f*) two representative of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, nominated by the State Government .. .. .. *Member.*

Sub-Divisional Legal Aid Committee

(*a*) the Sub-Divisional Magistrate .. .. *Chairman*
(*b*) the Judicial Magistrate of the Sub-Division .. .. *Member*
(*c*) the Assistant Public Prosecutor .. .. *Member-Secretary.*
(*d*) a representative of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, nominated by the State Government .. .. *Member*
(*e*) a social worker nominatd by the State Government .. .. *Member.*

(3) The term of the non-official members of the Committee be three years from the date of its constitution:

Provided that the State Government, if it thinks necessary, may—

(*a*) dissolve or reconstitute the Committee;
(*b*) fill up the vacancy of a Chairman or a member; and
(*c*) remove a Chairman or a member.

(4) If any person ceases to be the Chairman or the member of the Committee for any reason, the vacancy so caused shall be filled up in the same manner as the original appointment:

Provided that where the State Government is satisfied that some time is likely to be consumed in filling up the vacancy in accordance with the rules and the circumstances are such as render it necessary to take immediate action, the State Government may appoint any person to discharge the functions and exercise the powers of the Chairman; or to act as the member of the Committee till the vacancy is filled up in accordance with the rules.

17. Remuneration and daily allowances payable to members of the Committee.—(1) No member of any Committee shall be entitled to any remuneration for any work connected with the functions of the Committee.

(2) The non-official members of the Committee, who are nominated either from amongst the Members of the State Legislative Assembly or from amongst the Members of the Parliament, shall be paid the travelling and daily allowances as may be admissible to them as such member of the State Legislative Assembly or the Member of the Parliament, as the case may be.

(3) The other non-official members of the Committee not being the members of the Sub-Divisional Legal Aid Committee shall be paid travelling and daily allowances as are admissible to Grade I Officers of the State Government and the non-official members of Sub-Divisional Legal Aid Committee shall be paid travelling and daily allowances as are admissible to Government Officers of Grade II of the State Government.

CHAPTER VI

FUNDS OF BOARD

18. Funds of the Board.—(1) The Board shall have and maintain its own fund and all its receipts shall be carried to it and all the payments be made out of it by the Board.

(2) Notwithstanding anything to the contrary in these rules, the State Government shall for the purpose of carrying out the functions assigned to them, allocate the necessary funds to the

primary committees constituted under these rules and the concerned committees shall, in accordance with the directions given by the State Government, maintain the accounts of such funds and get such accounts audited; and shall also complete all other financial formalities and observe all other requirements, which may be laid down in this behalf.

(3) The Board may, for all or any of the purposes of the rules, accept grants, donations or gifts from the Central or the State Governments or the local authority or any individual or the body of persons, whether incorporated or not.

(4) The funds of the Board shall be applied by it for carrying out the purposes of these rules, for which the funds have been allocated hereunder to the committees constituted under these rules.

(5) The funds of the Board shall be deposited in such a manner as the State Government may direct by special or general order.

(6) The accounts shall be operated jointly or individually by such an officer as may be authorised by the Board.

19. Budget of the Board.—(1) The Board shall prepare and submit to the State Government, every year before such day as it may fix, the budget for the next financial year giving an estimate of income and expenditure.

(2) The Board shall submit to the State Government for its approval the supplementary budget in such form, and by such date, as may be prescribed.

20. Annual Report.—The Board shall, within three months after the expiry of each financial year, prepare and forward to the State Government an annual report in such a manner as may be laid down giving the full detail of its activities during the preceding financial year.

21. Maintenance of account books and ledgers.—(1) The Board shall maintain proper account books and such other ledgers as may be required and shall cause to prepare an annual statement of accounts.

(2) The Board shall cause its accounts audited annually by such a person as may be directed by the State Government.

(3) Immediately after its accounts are audited, the Board, shall forward the audit report together with its comments thereon to the State Government.

(4) After scrutiny of the audit report together with its comments thereon, the Board shall comply with such directions as the State Government may deem fit to give.

22. Statistics, returns and reports.—The Board shall, from time to time, furnish to the State Government such statistics, returns particulars or statements at such time, in such form and manner as may be directed by the State Government.

CHAPTER VII

LEGAL AID AND ADVICE

23. Persons illegible for aid.—These rules shall apply to all persons whose total income from all known sources does not exceed Rs. 300/- per month.

24. Cases in which legal aid can be given.—(1) Subject to the provisions contained in the preceding rule, the legal aid for any legal proceedings can only be granted, if—

(*a*) the following conditions are fulfilled, namely:—

(*i*) the case is of original jurisdiction; and

(*ii*) the case appears to be genuine and in the absence of legal aid, the claimant is unable to claim his legal rights;

(*b*) the party to the proceedings had acted upon the legal advice, if any, given to it under these rules.

(2) Subject to sub-rule (1), the District Legal Aid Committee may either on its own motion or on any information received by it or on an application made by any concerned person, grant legal aid at any stage of the legal proceedings.

(3) The legal aid will be inadmissible in those legal proceedings in which the Legal Practitioners are not allowed to appear.

25. Modes of legal aid.—The legal aid under these rules may be given by any or all of the following modes, namely:—

(*a*) payment of court fees, process fee, expenses of witnesses and all other charges payable or paid in connection with any legal proceedings;

(*b*) representation by a legal practitioner in legal proceedings;

(*c*) payment of fees, wherever necessary, payable for legal advice before institution of legal proceedings;

(*d*) charges for the supply of certified copies of judgements and orders made in any legal proceedings;

(*e*) charges for prepartion of books, including the charges for printing and translation of documents;

(*f*) any other kind of expenditure as may be deemed fit.

26. The cases in which legal aid can be denied.—No legal aid or legal advice shall be granted or given in the following cases:—

(*a*) defamation;

(*b*) breach of contract for marriage;

(*c*) demages for malacious prosecution;

(*d*) matters relating to elections;

(*e*) where a person is alleged to have committed an economic offence or an offence against social laws such as the Civil Rights Protection Act, 1955 (Act No. 22 of 1955), the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (Act No. 104 of 1956) the Essential Commodities Act, 1955 (Act No 10 of 1955) or the dowry prohibition and chil dmarriage restraint laws;

(*f*) such other cases which in the opinion of the Committee, for reasons to be recorded, do not need legal assistance; or

(*g*) such other matters as may be specified.

27. Application for legal aid.—(1) Application in the form, prescribed at annexure "A" to these rules, shall be received under a receipt in the office of the Secretary of the concerned Legal Aid Committee.

(2) Subject to the provisions of these rules, the Legal Aid Committee to which applications under sub-rule (1) are made, shall issue the orders sanctioning the legal aid in such form as may be prescribed.

(3) The Legal Aid Committee shall forward a copy of the sanction order regarding the legal aid to the Court in which legal proceeding is to be initiated or is pending.

28. Proceedings by the Chairman in most urgent cases.—(1) In case the Chairman of any committee, constituted under the different provisions of these rules, is of the opinion that such

a situation has arisen wherein immediate action is required to be taken, then he will, in anticipation of the approval of the committee concerned, take such action as he may deem fit, and thereafter he shall, as soon as possible, send a report of his action so taken to the committee concerned.

(2) If on the receipt of a report under sub-rule (1), the Committee concerned does not approve of the action of the Chairman then it will refer the matter to the following whose decision where upon would be final:—

(*i*) in case of action taken by the Chairman of either the High Court Legal Aid Committee or the District Legal Aid Committee, to the Board;

(*ii*) in case of action taken by the Chairman of the Sub-Divisional Legal Aid Committee, to the District Legal Aid Committee.

29. Execution of agreement and power of attorney by the applicant.—(1) In all cases in which the legal aid is granted to any person in a proceeding, other than a criminal proceedings, the applicant shall have to execute an agreement in the form prescribed at annexure B to these rules.

(2) Such person shall also execute an irrevocable power of Attorney as in Form "C" empowering the State Government to execute the decree or order passed in his/her favour in a proceeding referred to in sub-rule (1) and to appropriate from out of realisations such amount as is necessary to reimburse the State Government of the amount spent by it but for giving legal aid.

(3) All amounts paid or recovered under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be credited to the State Government.

30. Engagement of lawyers.—As soon as the Committee decides to grant legal aid to the applicant and the applicant execute the agreement and the power of attorney referred to as in the preceding rule, the legal aid Committee shall engage a suitable lawyer out of the penal of lawyers maintained by the State Government for engagement, and he shall render his services to the applicant and will represent him in the legal proceedings without charging any fee from the applicant. He shall be paid such fee as may be laid down in rule 45 of the rules.

31. Payment of Charges out of the legal aid.—The charges for copying out the necessary documents and charges payable in respect of witnesses in the concerned proceedings shall be met out of the legal aid.

32. Maintenance of accounts by the Committee.—The Committee shall maintain a separate account of the income and expenditure in respect of the legal aid granted under these rules.

33. Cancellation of legal aid.—(1) The Committee either on its own motion or on the request made by such authority, who has sanctioned the grant, may, after giving at least seven day's notice to the aided person of its intention to do so and affording him the opportunity of being heard, cancel the legal aid already given, if the person to whom it is granted:—

(*i*) is found guilty of an vexatious or improper conduct in the coure of the proceedings concerned; or

(*ii*) if it appears that his annual income has increased to the extent that it is no longer desirable to provide the legal aid to him; or

(*iii*) if he has engaged a lawyer other than the one engaged under rule 30; or

(*iv*) if for any other sufficient reason the committee is of opinion that it would not be proper to continue legal aid to him.

(2) Subject to the decision of High Court Legal Aid Committee the decision of the legal Aid Committee under sub-rule (1) shall be final.

34. Reimbursement of incurred expenditure.—In any legal proceedings to which the aided person is a party, if the court makes a decree/order with costs in favour of the aided person then he would be liable to reimburse all expenditure incurred by the committee and in case he fails to do so, the amount due from him shall become recoverable from him in the same manner as if it were an arrear of land revenue.

35. Legal Practitioner not to accept any fee from the aided person.—No legal practitioner, whose fees are payable or have been paid under these rules, shall be entitled to claim any fees or charge any remuneration from the aided person.

CHAPTER VIII

VOLUNTARY LEGAL AID AGENCIES

36. Voluntary Legal aid agency.—(1) The Board, with a view to encourage the voluntary legal aid, shall accord recognition to voluntary legal aid centres or clinics on such terms and conditions as it may deem fit. Each such centre or clinic shall be under the charge of an Advocate. Several Advocates may jointly open a common centre or a clinic.

(2) Voluntary legal aid centres or clinics may provide free legal aid to the people in accordance with the guiding principles laid down by the Board from time to time.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

37. Application for legal aid and scrutiny thereof.—(1) The application for the legal aid shall be accompanied by an affidavit, giving the details of immovable property of the applicant and that his monthly income from all known sources is not more than Rs. 300/- per month, sworn before a magistrate:

Provided that if the Legal aid has been granted in any proceedings before the lower court, no such affidavit will be necessary for making an appliction to the High Court Legal Aid Committee for grant of Legal aid in the same proceedings, which may be pending or contemplated to be pending before the High Court in the same case.

(2) In case of doubt the Committee may, in order to confirm the sources of income of the applicant, cause inquiry to be made through the Block Development authorities, or as it may consider fit through any other administrative agency.

(3) In case of urgency or any such like circumstances, the Committee may, pending final decision, grant interim legal aid.

38. Determination of merits of the case.—Before the legal aid is granted to the applicant the Committee shall consider the nature of the evidence available as well as the veracity of the claim of the applicant for which the legal aid has been applied for.

39. Dispensing with the enquiry in case of paupers.—Subject to the provisions contained in these rules, the person who has been provided the facilities of a pauper under Order 33 of Schedule I of the Code of Civil Procedure, 1908 shall be eligible to claim the legal aid under these rules and in that event the production of affidavit and enquiry under rule 37 will not be necessary.

40. Power to discontinue the legal aid.—The Committee after having considered the conduct of the applicant as well as the relevant circumstances may, at any time, withdraw the legal aid already granted to him.

41. Power of the Board to grant legal aid in exceptional circumstances.—Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, the Board, in case of exceptional circumstances, may, after holding such enquiry as it may deem fit, direct the legal aid committee to grant legal aid in any case or other proceedngs to a person, who in the opinion of the Board deserves to be aided under these rules, even though he is not otherwise eligible for it.

42. Conciliations.—The Committee shall, illegal proceedings, in which a person desirous of having legal aid is a party, endeavour to bring about conciliation or settlement.

43. Pre-litigation legal advice.—The committee shall maintain a panel of such advocates to be engaged by the State Government who are willing to give free legal aid to the poor. Such an aid shall be limited only to the extent of giving pre-litigation legal advice in general cases and before agitating them in a court, tribunal or before an authority but the Committee may require any legal practitioner in the panel to accept the briefs of a person having no sources of income for processing the matter in any court or tribunal or before any authority.

44. Appointment of Advocates from the panel.—(1) The State Government shall, to provide legal aid to the poor, appoint in legal proceedings, panel advocates and brief-holders. The number of panel Advocates and brief-holders to be appointed in any District, Sub-Division or the High Court, shall be determined by the State Government.

(2) The panel advocates as referred to in the preceding sub-rule and who may be included therein shall, subject to the supervision, control and directions of the State Government, discharge such functions as may be required by the Committee concerned.

45. Fees payable to the Advocates.—The panel advocates, referred to in the preceding sub-rule, shall be paid fees at such rates as are paid in any civil or criminal cases under the Law Department Mannual to:—

(*a*) the Government Advocates in the High Court;

(*b*) the Government Advocates or Public Prosecutors in any District or Subordinate Court.

46. Engagement of Panel Advocate.—The Committee shall entrust the briefs to the panel Advocates or brief holders in such a manner as it may deem fit. So long as the Committee is not satisfied that there is a clash of interets between different applicants involved in a case, it shall not engage different counsels for different applicants.

47. Other kinds of legal aid.—The applicants, who may have been granted legal aid, shall also be granted free legal aid for causing the decrees, passed in their favour, executed or satisfied. In exceptional circumstances where the committee is satisfied that the applicant does not have the means even to pay the process fee, road and diet money payable to witnesses or copying charges it may also provide for such expenses.

48. Facilities to prisoners.—Prisoners including those under trial shall, while in custody, be afforded every facility for applying for and obtaining legal aid or legal advice, if they intend to seek the same.

49. Removal of difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rues, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, or may give such directions to the Board and the Committees, constituted under these rules, as or not inconsistent with the purposes of these rules and appeal to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) The Board and the committees shall follow all such directions as may be given under sub-rule (1), from time to time.

50. Repeal.—(1) The legal aid for Poor (Himachal Pradesh) Rules, 1973 and the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Legal Aid Rules, 1974 are hereby repealed.

(2) Anything done or any action taken under the said rules (including the orders and directions given thereunder) shall be deemed to have been done or taken under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or action was taken.

By order of the Governor of
Himachal Pradesh.

J. C. MALHOTRA,
Secretary (*Law*).

ANNEXURE I

[*See* sub-rule (1) of rule 27]

(FORM OF APPLICATION TO BE MADE FOR LEGAL AID)

To

.....
Legal Aid Committee,

.....

(1) Name and address of the applicant ..	
(2) Whether he/she is a resident of Himachal Pradesh? ..	
(3) His or her occupation ..	
(4) (*a*) Whether he/she owns any proporty? ..	
(*b*) if so, the details thereof,—	
(*i*) Immovable.....	
(*ii*) Movable.....	
(5) Annual income from all known sources (to be shown separately in respect of immovable, movable and other property and occupation) ..	
(6) Annual income of other family members of the applicant ..	
(7) Whether the application is for legal aid or legal advice or both?	
(8) For legal advice, state clearly the facts in dispute and the point for advice: For legal aid state clearly the full particulars of proceedings where it is pending, etc. ..	
(9) (*a*) Whether legal aid was applied for previously, obtained or refused? ..	
(*b*) If so, the particulars thereof? ..	

(10) Whether the affidavit as per rule 37 is enclosed?.....

(11) Any other particulars which the applicant desires to furnish

Date..... (*Signature of the applicant*).

Place.....

I....., the applicant, do hereby solemnly affirm and declare that what is stated above is true to the best of my information, knowledge and belief and in witness whereof I have set my hands on this application.

(*Signature of the Deponent*).

ANNEXURE 'B'

[*See* sub-rule (1) of rule 29]

(Form of agreement to be executed by the Eligible person to reimburse the expenditure incurred by way of legal aid by the State Government)

This Agreement is executed on.....day of....., 19 . by Shri/Smt.....son/daughter of Shri..... aged.....years and residing at.....(who will hereinafter be referred to as "the Eligible person" and also includes his successors, administrators and legal representatives) in favour of the Governor, Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government");

Whereas.....the Committee has decided to grant legal aid to the Eligible person in accordance with the Himachal Pradesh State Legal Aid to the Poor Rules, 1980, in case No.....entitled.....in the High Court of...../ in the Court of.....(hereinafter referred to as the "legal proceeding");

Now this deed witnessth that in consideration of the aforesaid the Eligible person hereby covenants and agrees that if the Eligible person succeeds in the proceedings and becomes entitled to recover from the opposite party:—

(*a*) any money, including the costs; or

(*b*) any other property yielding or capable of yielding any income;

such money or property shall be recovered by him from the opposite party and when so recovered shall be first paid by him to the Government to the extent necessary for reimbursing the expenditure incurred by the Government for giving him the legal aid.

The Eligible person further agrees that if he fails to take steps to recover the said sum of money from the opposite party or fails, when recovered, to pay the amount payable to the Government, the Government shall be entitled, without prejudice to other remedies open to it, to recover the amount due as if the same were arrears of land revenue.

The Stamp duty on this agreement shall be borne by the Government.

In witness whereof the parties affix, on the aforesaid date, their signatures hereunder:—

The said Eligible person has affixed his signatures in the presence of:—

Witness No. 1.....

Witness No. 2.....

.....

(Signatures of the eligible person)

For Governor of Himachal Pradesh or on his behalf:—

Witness No. 1.....

Witness No. 2.....

has affixed his signatures in the presence of the above.

.....
(Signature of the authorised person).

ANNEXURE "C"

[*See* sub-rule (2) of rule 29]

(Form of irrevocable power of attorney to be executed)

This power of attorney is made on the.....day of .....,19 . by Shri/Smt.....son/daughter of Shri/Smt..... aged.....years, residing at.....(hereinafter referred to as the "Eligible person") in favour of the Governor, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "Government".

Whereas.....Committee has granted the legal aid to the Eligible person in accordance with the Himachal Pradesh State Legal Aid to the Poor Rules, 1980 in case No..... entitled.....*vs*.....in the Court of..... (hereinafter referred as the "proceedings");

And whereas, the Eligible person has separately executed an agreement dated..... to reimburse the expenditure incurred on the said legal aid;

And whereas the Eligible person has covenanted and agreed that any decree or order passed in his favour in the proceedings for recovery of any sum of money, including costs, or other property yielding or capable of yeilding any income may be executed by the Government;

Now, This Deed Witnessth that the Eligible person, hereby appoints the Government as his attorney, in his name and on his behalf:—

(*i*) to execute the said decree or order in the proceedings;
(*ii*) to recover therein the said sum of money or property; and
(*iii*) to appropriate such part of it as is necessary in satisfaction of the amount due to the Government towards the legal aid given.

The Eligible person further agrees to ratify and confirm whatever the Government as Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of this Deed.

The Eligible person also agrees that this power of Attorney shall be irrevocable.

In witness whereof the Eligible person has signed this Deed.

.....
(Signatures of the Eligible person).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।